[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 29th February, 2024

NOTIFICATION

No.9-4/2023-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher education as an Institution Deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application dated 29.05.2023 was received on the UGC Portal for conferment of Institution deemed to be University status under de-novo category to Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh, under Section 3 of the UGC Act, 1956

3. **And whereas,** while the application was under examination, UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 was notified on 02.06.2023. In accordance with Clause 30 of the UGC Regulations, 2023, the Institution submitted an undertaking to consider their application in accordance with UGC, Regulations, 2023.

4. **And whereas**, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) on 07.12.2023 to Scindia Engineering College Society, Gwalior, Madhya Pradesh for fulfilment of the following conditions within a period of three years before grant of Institution deemed to be University status to Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh under the Distinct category:

i. The proposed Institution deemed to be University shall prepare their MoA and rules as per the UGC Regulations, 2023.
ii. The Sponsoring body shall create and maintain a Corpus Fund of Rupees 25 crore in the name of the proposed Institution deemed to be University.
iii. The proposed Institution deemed to be University shall align the curriculum as per the NEP-2020.
iv. The proposed Institution deemed to be University shall increase number of regular faculty.
v. The proposed Institution deemed to be University shall prepare Learning outcomes of all the programs.
vi. A separate not-for-profit Society/Trust/Company shall be created in the name of proposed deemed to be University or Scindia Engineering College Society, Gwalior, Madhya Pradesh shall specifically mention in its registration deed (MoA) that it is exclusively for running educational activities and no other activities are being carried out or shall be carried out in the future under it.

vii. The Sponsoring body shall submit revised DPR (Detailed Project Report), Strategic Vision Plan and Rolling implementation plan accordingly.
viii. The Sponsoring body shall submit NoC from the affiliating University as per Clause 6 (2)(a) of UGC Regulations, 2023.
ix. The Sponsoring body shall submit approval of respective Statutory Councils for the existing as well as proposed courses.
x. The Sponsoring body shall submit Land ownership document in the name of the proposed deemed to be University or the Sponsoring body as per Clause 6(2)(d) of the UGC Regulations, 2023.
xi. The Sponsoring body shall submit an undertaking to the effect that the proposed Institution deemed to be University shall abide by all the provisions of the Act, rules made under the said Act and these regulations.

5. **And further whereas**, the Institution, vide letter 28.12.2023, submitted compliance report in respect of the conditions of LoI. The compliance report of the Institution was verified by the UGC Expert Committee. The Committee accepted the compliance report of the Institution. The report of the UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 577th meeting (Agenda Item No 2.04) held on 13.02.2024.

6. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

i. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall become compliant with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 within a period of six years from the date of issuance of this Notification.
ii. The entire moveable & immoveable assets shall be in the name of Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh.
iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
iv. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
v. The academic programmes to be offered at Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
vi. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

vii. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh.

ix. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing UGC Regulations.

x. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xi. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xii. Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

(Neeta Prasad)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23071486

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

<u>Copy forwarded to</u>:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
2. The Director, Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior, Madhya Pradesh.
3. The Secretary, Higher & Technical Education Department, Govt. of Madhya Pradesh.

4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
7. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
8. Guard file / Notification file.

Neeta Prasad

(Neeta Prasad)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23071486

[भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 फरवरी, 2024

<u>**अधिसूचना**</u>

सं.9-4/2023-यू.3(ए): जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्च शिक्षण संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि**, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को यूजीसी अधिनियम, 1956 धारा 3 के अंतर्गत डी-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर 29.05.2023 दिनांकित एक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था।

3. **और जबकि,** जब आवेदन जांच के अधीन था, दिनांक 02.06.2023 को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 अधिसूचित किए गए थे। यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 30 के अनुसार, संस्थान ने यूजीसी, विनियम, 2023 के अनुसार उनके आवेदन पर विचार करने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत किया।

4. **और जबकि,** शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 07.12.2023 को सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था:

i. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार अपना संगम ज्ञापन (एमओए) और नियम तैयार करेगा।

ii. प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर 25 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

iii. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम को एनईपी-2020 के अनुसार संरेखित करेगा।

iv. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान में नियमित संकाय की संख्या में वृद्धि होगी।

v. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान सभी कार्यक्रमों के अधिगम परिणाम तैयार करेगा।

vi. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय या सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के नाम पर एक अलग गैर-लाभार्थ सोसायटी/न्यास/कंपनी बनाई जाएगी, जो अपने पंजीकरण विलेख (एमओए) में विशेष रूप से उल्लेख यह करेगी कि इस विश्वविद्यालय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां होंगी और अन्य कोई गतिविधियां न तो की जा रही हैं और न ही भविष्य में की जाएंगी।

vii. प्रायोजक निकाय तदनुसार संशोधित डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), कार्यनीतिक विजन योजना और रोलिंग कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करेगा।

viii. प्रायोजक निकाय यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 6 (2) (क) के अनुसार संबद्ध विश्वविद्यालय से एनओसी प्रस्तुत करेगा।

ix. प्रायोजक निकाय मौजूदा और प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित वैधानिक परिषदों का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा।

x. प्रायोजक निकाय यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 6(2)(घ) के अनुसार प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के नाम पर भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

xi. प्रायोजक निकाय इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम के सभी प्रावधानों, उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और इन विनियमों का पालन करेगा।

5. **और इसके अलावा जबकि,** संस्थान ने दिनांक 28.12.2023 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा दिनांक 13.02.2024 को आयोजित 577वीं बैठक (मद संख्या 2.04) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. **अत: अब,** शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के भीतर यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का अनुपालन करेगा।

ii. संपूर्ण चल और अचल परिसंपत्तियां माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के नाम पर होंगी।

iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

iv. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

v. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vi. संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।

vii. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु नियत सभी पात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में यथा निहित उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं प्रभावी रहेंगी और माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

ix. जब भी आवश्यक हो, संस्थान प्रचलित यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन या संशोधित करेगा।

x. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, यूजीसी के नियमों एवं विनियमों और संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xi. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xii. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके

क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों और समर्थ ई-जीओवी को अंगीकृत करेगा।

(नीता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फ़ोन: +91 11 23071486

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>**प्रतिलिपि प्रेषित**</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
2. निदेशक, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070.
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001.
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करें।
8. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(नीता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फ़ोन: +91 11 23071486